अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरैस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 692/23 (CIS NO. 692/23)

अंजू सरावगी

बनाम जविप्रा

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील सं0 692/2023

अंजू सरावगी व अन्य बनाम जविप्रा व अन्य

दिनांक 28.07.2026

अधिवक्ता अपीलार्थीगण श्री चन्द्रशेखर शर्मा उपस्थित। प्रत्यर्थी जविप्रा की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर चावला उपस्थित। इंटरविनर प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री उपेन्द्र सिंह राठौड उपस्थित।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थीगण की ओर से हस्तगत रेफरेंस याचिका प्रस्तुत कर निवेदन निम्नप्रकार अनुतोष चाहा गया कि अपील विरूद्ध विधिक नोटिस व सकारण आदेश दिनांक–27.09.2023 प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रवर्तन अधिकारी जोन–5 जविप्रा, जयपुर द्वारा जारी आक्षेपित विधिक नोटिस व सकारण आदेश दिनांक–27.09.2023 को अपास्त करते हुये आक्षेपित नोटिस में वर्णित निर्माण एवं अनुज्ञेय गतिविधि जो भूखण्ड संख्या–389, 390 गायत्री नगर ए, जयपुर पर विद्यमान है, के किसी भी भाग अथवा अंश को ध्वस्त/सील नही करे और ना ही अपीलार्थी के उपयोग एवं उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न करें। विधिक नोटिस व सकारण आदेश दिनांक–27.09.2023 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान की कृपा करे।

प्रत्यर्थी जविप्रा की ओर से हस्तगत अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि कि जिविप्रा द्वारा दिनांक 27.09.2023 को सकारण आदेश एवं विधिक नोटिस दिया गया। जो वैधानिक रूप से सही है। क्योकि अपीलार्थीया द्वारा जविप्रा की बिना अनुमति एव स्वीकृति के अनुमोदित योजना गायत्री नगर–ए के भूखण्ड सख्या 389, 390 मे साईज 32 बाई 90 तथा 32 बाई 90 फीट मे बेसनेन्ट प्लस ग्राउण्ड प्लस प्रथम

अपील/रेफरेंस

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील/रेफरेंस/विविध प्रार्थना पत्र संख्या 192/23 (CIS NO. 192/23)

अंजू सहारण बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मंजिल का निर्माण कर बेसमेन्ट प्लस ग्राउण्ड पर कपडे का गोदाम बनाकर उक्त आवासीय भूखण्डों में व्यावसायिक गतिविधिया संचालित किये जाने पर जविप्रः अधिनियम व भवन विनियम 2020 के अनुसार अवैध होने पर दिनांक 26.07.2023 को धारा 32 जविप्रा अधिनियम का नोटिस जारी किया गया था। जारी नोटिस के संबंध में प्राप्त जवाब का परीक्षण तकनीकी टीम प्रवर्तन से करवाया गया जो परीक्षण उपरान्त उक्त आवासीय भूखण्डो पर बेसमेन्ट में 3600 रुकायर फीट तथा ग्राउण्ड फ्लोर पर 3600 स्कायर फीट में कपडे का व्यावसायिक गोदाम सचालित होने से प्रस्तुतः जवाब असंतोषप्रद पाया गया। माननीय अपीलीय अधिकरण, जविना में दायर रेफरेन्स संख्या 381/2022 अमितेश राणा बनाम जविप्रा में पारित आदेश दिनाक 04.01.2023 में माननीय न्यायालय ने आदेश फरमाया था कि इन आवासीय भूखण्ड संख्या 389 व 390 पर किसी प्रकार की काई व्यावसायिक गतिविधि भी सचालित नहीं की जायें। अपीलीय आदेश दिनाक 04.01 2023 की अपीलार्थीया द्वारा पालना नहीं की गई। जिस पर श्री अमितेश राणा ने माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण, जविप्रा में अवमानना प्रार्थना पत्र 62/2023 अमितेश राणा बनाम जविप्रा व अन्य प्रस्तुत की है। अत अपीलार्थी को जरिये सकारण आदेश पाबन्द किया जाता है कि अपीलार्थी उक्त सकारण आदेश प्राप्त होने से 15 दिवस की अवधि में उक्त भूखण्ड पर अपीलार्थी द्वारा संचालित व्यावसायिक गतिविधिया (कपडे का गोदाम) स्वंय के स्तर पर हटाकर/बन्द कर अद्योहस्ताक्षरकर्ता को फोटोग्राफ्स सहित रिपोर्ट पेश करे अन्यथा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जविप्रा, जयपुर द्वारा हटाया जावेगा, जिसका हर्जा–खर्चा आपसे वसूल किया जावेगा। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।	

अपीलीय अधिकरण

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अपील / रेफरेंस / विविध प्रार्थना पत्र संख्या 192/93 (CIS NO. 192/93)

अंजू सरावगी बनाम जविप्रा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीसियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि हस्तगत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा उठाये गये आधार बलहीन है। अतः यह अपील खारिज किये जाने योग्य है। यह अधिकरण हस्तगत अपील का निम्नप्रकार निस्तारण किया जाना न्यायसंगत समझता है।

आदेश

अपीलार्थीगण अंजू सरावगी व अन्य की ओर से प्रस्तुत इस अपील में उठाये गये आधार बलहीन होने से यह अपील उपरोक्त वर्णितानुसार अस्वीकार कर खारिज की जाती है। हस्तगत अपील में प्रार्थना पत्र लंबित हो तो उसे भी निस्तारित समझा जावे। उपरोक्तानुसार अपील का निस्तारण किया गया।

यह निर्णय आज दिनांक **28.07.2026** को खुले न्यायाधिकरण में लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति सचिव जविप्रा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।